राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(8)नविवि/2020 पार्ट–13397 जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

–:आदेश:–

विकास प्रोत्साहन एवं नियन्त्रण उपविधियां (DPCR) में आवासीय भू–उपयोग में जनोपयोगी सुविधाओं, समस्त भू–उपयोगों में नर्सरी (पौधाशाला), परिधि नियंत्रण पट्टी में शैक्षणिक एवं चिकित्सा गतिविधिया आदि को अनुमत किये जाने तथा हाईवे कन्ट्रोल बैल्ट क्षेत्र में औद्योगिक उपयोग को भी अनुमत किये जाने के संबंध में निम्नानुसार नवीन प्रावधान जोड़े जाते हैं:–

1. आवासीय

तालिका –1, आवासीय भू–उपयोग(Residential land use)			
(क) मुख्य उपयोग/गतिविधि जो की सीधे ही अनुमत (Permitted)			
5. सामाजिक/सांस्कृति/सामुदायिक सुविधाऐं (Socicial/Cultural/community facilities)			
5.2	जनउपयोगी सुविधाऐं यथा– सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट, ग्रिड सब–स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र, वॉटर फिल्टर एवं ट्रिटमेंट प्लाट, पुलिस चौकी/थाना, डाकघर, टेलीफोन एक्सजेंज, अग्निशमन केन्द्र, डेयरी बूथ, सुलभ शौचालय इत्यादि सुविधाएँ	12 मी.	12 मी.

2. वाणिज्यिक

नर्सरी (पौधशाला) को आमोद – प्रमोद उपयोग के अंतर्गत अंकित किया गया है, चूँकि अधिकांश नर्सरी (पौधशाला) किसानी/वाणिज्यिक खेती/पेशेवर बागवानी से संबंधित है। अतः उक्त उपयोग को समस्त तालिकाओं में वाणिज्यिक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

3. **परिधि नियंत्रण पट्टी**

तालिका –8 परिधि नियंत्रण क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र (Periphery control belt/Rural Area)			
(क) मुख्य उपयोग/गतिविधि जो की सीधे ही अनुमत (Permitted)			
5. सार्वजनिक अर्द्वसार्वजनिक सुविधाऐं (Public/semi-public)/आमोद–प्रमोद (Recreational)			
5.9	शैक्षणिक (Educational)		
	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय	30 मी.	24 मी.
5.10	चिकित्सा (Health)		
	हॉस्पिटल(100 bed)	30 मी.	24 मी.
(ख) अनुमति योग्य (Permissible)भू–उपयोग/गतिविधियां			
4. औद्योगिक (Industrial)			
4.1	राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड अनुसार सूचीबद्ध ग्रीन/व्हाईट श्रेणी (Green/White Category)की औद्योगिक इकाईयां (Non-Polluting industries) केन्द्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड अनुसार सूचीबद्ध ब्ल्यू श्रेणी (Blue Category)के सेक्टर (Essential Environmental Services for Domestic / Household Activities)की औद्योगिक इकाईयां (Non-Polluting industries)	24 मी.	18 मी.
4.2	**उपरोक्त उल्लेखित औद्योगिक इकाईओं के अतिरिक्त अन्य श्रेणी की औद्योगिक इकाईओं की अनुमति नविवि के आदेश क्रमांक प. 3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 02.09.2024 की तालिका–2 [illegible] अंकित गठित समिति द्वारा आवश्यक रूप[illegible] वायु की**	24 मी.	[illegible] मी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.06.24 13:25:19 IST
Reason: Approved

	दिशा/प्रदुषण आदि बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में तकनीकी परीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रदान की जावेगी। **साथ ही तकनीकी दृष्टिया समिति द्वारा आवश्यकतानुसार राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को विशेष अथिति के रूप में समिति में सम्मिलित किया जा सकता है अथवा राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित प्रकरण में अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यवाही की जा सकती है।**		

4. हाईवे कंट्रोल डवलपमेंट जोन

तालिका –9 उच्च मार्ग विकास नियंत्रण क्षेत्र (Highway Development Control Zone)			
(ख) अनुमति योग्य (Permissible)भू–उपयोग/गतिविधियां			
6. औद्योगिक (Industrial)			
6.1	राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड अनुसार सूचीबद्ध ग्रीन/व्हाईट श्रेणी (Green/White Category)की औद्योगिक इकाईयां (Non-Polluting industries) केन्द्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड अनुसार सूचीबद्ध ब्ल्यू श्रेणी (Blue Category)के सेक्टर (Essential Environmental Services for Domestic / Household Activities)की औद्य ोगिक इकाईयां (Non-Polluting industries)	24 मी.	18 मी.
6.2	**उपरोक्त उल्लेखित औद्योगिक इकाईओं के अतिरिक्त अन्य श्रेणी की औद्योगिक इकाईओं की अनुमति नविवि के आदेश क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 02.09.2024 की तालिका–2 में अंकित गठित समिति द्वारा आवश्यक रूप से वायु की दिशा/प्रदुषण आदि बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में तकनीकी परीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रदान की जावेगी।** **साथ ही तकनीकी दृष्टिया समिति द्वारा आवश्यकतानुसार राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को विशेष अथिति के रूप में समिति में सम्मिलित किया जा सकता है अथवा राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित प्रकरण में अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यवाही की जा सकती है।**	24 मी.	18 मी.

5. परिसंचरण/परिवहन/यातायात सुविधाए जैसे–बस/ऑटोरिक्शॉ/वाहन स्टैंड/पार्किंग उपयोग आदि को मास्टर प्लान के आमोद–प्रमोद/प्रतिबंधित उपयोगों को छोड़कर अन्य उपयोगों में अनुज्ञेय किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किया जावे हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.06.24 13:25:19 IST
Reason: Approved

7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर।
9. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त———————————————————।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव— प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.06.24 13:25:19 IST
Reason: Approved